राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :लेखा–12(विविध)/आं.जां./2017/ दिनांक :

–: संशोधित आदेश :–

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक लेखा 3225 दिनांक 20.09.2017 द्वारा जारी अंकेक्षण कार्यक्रम में निम्नाकितानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

क्र. सं.	अंकेक्षण दल प्रभारी/जोन कार्यालय	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है	आदेशित कार्यक्रम	संशोधित कार्यक्रम
1	2	3	4	5
1	श्री बाबूराम जाट, सहा0 लेखाधिकारी–प्रथम मो0 9414605370 दल सदस्य श्री जितेन्द्र लूणू कनिष्ठ लेखाकार, जोन बीकानेर प्रथम	खण्ड मु0 चि0 अधिकारी, रतनगढ चूरू 04/10 से 03/17	23.10.17 से 15.11.17	23.10.17 से 20.11.17
		मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ चूरू	21.11.17 से 06.12.17	————

श्री बालूराम जाट का पूर्व में आदेशित कार्यक्रम खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांगरिया हनुमानगढ को निरस्त किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि उप निदेशक (विधानसभा) से प्राप्त संलग्न पत्र क्रमांक 4038 दिनांक 08.11.2017 में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ चूरू के कार्यालय की जांच निर्धारित अवधि में कर जांच रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न– पत्र की प्रति।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :लेखा–12(विविध)/आं.जां./2017/ 4084 दिनांक : 15/11/17

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
2. निदेशक (वित्त), एन0एच0एम0 मुख्यालय।
3. उप निदेशक (विधानसभा) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर को उनके पत्रांक 4038 दिनांक 08.11.17 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि माननीय सदस्य के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बताये गये बिन्दुओं पर जांच करने के निर्देश दे दिये गये हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जांच रिपोर्ट से आपको अवगत करा दिया जावेगा।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन– बीकानेर।
5. मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी, रतनगढ चूरू को निर्देशित किया जाता है कि श्री बालूराम जाट सहायक लेखाधिकारी–प्रथम को जांच कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करावे।
6. श्री बालूराम जाट, सहा0 लेखाधिकारी–प्रथम दल सदस्य श्री जितेन्द्र लूणू कनिष्ठ लेखाकार, जोन बीकानेर प्रथम को पालनार्थ।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

लेखाधिकारी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

सचिव,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

131/142

Accha. 1052 9.11.17

विषय:- राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 131 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रतनगढ़ जिला चुरु द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से लेकर अब तक विभिन्न कार्यक्रमो के प्रशिक्षण, निविदा तथा सामग्री खरीद मे नियमो की अवहेलना करके केवल चहेती फर्मो से कार्य करवाए गये । वित्तीय वर्ष 2008-09 से लेकर 2017 तक उक्त कार्यालय के स्तर से की गई खरीद, प्रशिक्षण पर व्यय मुद्रण सामग्री मे हुई अनियमितता व जिला स्तर पर आमंत्रित निविदाओ की स्वतंत्र जाँच एजेंसी से जाँच अत्यन्त आवश्यक है ताकि अधिकारियो द्वारा उक्त समय मे की गई मनमर्ज़ी, चहेती फर्मो को पहुँचाया गया फायदा तथा राजकोष के हुए दुरुपयोग की सच्चाई उजागर हो सके । उक्त मामलो पर गौर फरमाएँगे तो सच्चाई सामने आएगी की किस तरह एक ही फर्म को विभिन्न कार्यो के माध्यम से फायदा पहुँचाया गया जिसमे अधिकारियो की लिप्तता और कमीशनखोरी भी शामिल है ।

अत: सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि उक्त संपूर्ण मामले की जाँच करवाकर दोषी और ज़िम्मेदारो के खिलाफ कार्यवाही हो सके ।

Ramji Lal

Sunita ji

9/11

भवदीय,

([signature])

वि. सं.: 79

अति–आवश्यक / विधानसभा

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

दिनांकः– 08/11/2017

क्रमांक–योजना / विधानसभा / ~~अल्पसत्र~~ ध्यानाकर्षण / 2017 / 4038

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजकर अनुरोध है कि उक्त ध्यानाकर्षण का जवाब तैयार कर अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।

1. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित),मुख्यालय।
2. परियोजना निदेशक(एनएचएम)मुख्यालय।
3. वित्तिय सलाहकार मुख्यालय।
4. सयुंक्त निदेशक(बीकानेर जोन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ चूरू।

उप निदेशक (विधानसभा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर